समाहरणालय मुजफ्फरपुर
(जिला गोपनीय प्रशाखा)

दूरभाष संख्या : 0621-2212101 (का.)
0621-2212105 (आ.) 2217285 (फै.)
E-mail : dm-muzaffarpur.bih@nic.in

****

श्री धर्मेन्द्र सिंह, भा.प्र.से. जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा दिनांक 16.01.2018 को बाल विवाह एवं दहेज उन्मूलन के समर्थन में मानव श्रृंखला निर्माण की प्रगति से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति : यथा पंजी संधारित।

बाल विवाह एवं दहेज उन्मूलन के समर्थन में दिनांक 21.01.2018 को राज्यव्यापी मानव श्रृंखला का निर्माण किया जाना है। विभाग के द्वारा इस कार्य हेतु समाज कल्याण विभाग को नोडल विभाग तथा उसके सहयोग हेतु शिक्षा विभाग को दायत्वि दिया गया है। उक्त कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उपस्थित पदाधिकारियों को निम्नांकित निदेश दिया गया :–

1. जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि सभी सरकारी विद्यालयों एवं निजी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के साथ बैठक कर उन्हें बच्चों की शतप्रतिशत उपस्थिति हेतु लक्ष्य निर्धारित कर दिया जाए। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि सभी प्रखण्डों में भी निजी विद्यालयों के बच्चों भी मानव श्रृंखला में भाग ले इसे भी सुनिश्चित कराया जाए। इस हेतु विधिवत आदेश निर्गत करा दिया जाए। यह भी निदेश दिया गया कि सभी स्कूल के बच्चे अपने–अपने अभिभावक के साथ आयें इसे भी सुनिश्चित कराया जाए।

2. सभी प्रखण्डों के प्रभारी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि प्रखण्डवार समीक्षा कर यह देख लिया जाए कि निर्धारित मार्ग पर सेक्टरवार मानवबल की सम्बद्धता कर दी गई है। यह भी निदेश दिया गया कि किस विभाग के मानवबल किस स्थान पर मानव श्रृंखला में भाग लेंगे इसे भी सुनिश्चित करा लिया जाए। निर्धारित मार्ग के किस सेक्टर में किस गांव–टोले के लोग भाग लेने हेतु आयेंगे इसे सुनिश्चित करा लिया जाए।

3. सभी प्रखण्डों के प्रभारी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि दिनांक 17.01.2018 से अपने–अपने निर्धारित प्रखण्डों में जाकर मानवबल की सम्बद्धता हेतु बनाये गये सेक्टर पदाधिकारी एव जोनल पदाधिकारी की समीक्षा कर यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि कौन–कौन से सरकारी कर्मी किस मार्ग पर एवं किस स्थान पर कहां से लोगों को ला रहे हैं। जिन लोगों को जिस सेक्टर अथवा मार्ग में सम्बद्ध किया गया है उनको विधिवत सूचना चली जाए। जीविका के माध्यम से, विद्यालयों के माध्यम से तथा अन्य स्त्रोत से लाये जाने वाले मानवबल का आकलन करा लिया जाए। यह भी निदेश दिया गया कि जा लोग मानव श्रृखला हेतु सूचीबद्ध हैं उन सभी का हस्ताक्षर भी शीघ्र करा लिया जाए।

4. कांटी प्रखण्ड के प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि माईक्रोप्लान तैयार कर लिया गया है। निदेश दिया गया कि जिन लोगों को सम्बद्ध किया गया है वे निर्धारित मार्ग तक पहुंच जायेंगे इसे सुनिश्चित करा लिया जाए। लोगों को अधिक से अधिक जागरूक बनाया जाए। सभी प्रखण्डस्तरीय तथा पचायतस्तरीय पदधिकारियों एवं कर्मियों को नियमित

रूप से कैम्प कराया जाए तथा लोगों को जागरूक बनाया जाए। यह भी निदेश दिया गया कि यह देखा जाए कि जीविका की महिला तथा विद्यालय के बच्चे किस मार्ग पर आ रहे हैं तथा उनके आने में किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है। अपर समाहर्ता, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि इसकी अपने स्तर से समीक्षा कर लें तथा नियमित रूप से पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण भी किया जाए।

5. अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, मुजफ्फरपुर के द्वारा बताया गया कि बोचहां में इस बात कुछ परिवर्तन किया गया है। पिछले बार बोचहां, गायघाट एवं कटरा का कुछ भाग कॉमन था। प्रभारी पदाधिकारी एवं अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन को निदेश दिया गया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि बोचहां, कटरा एवं गायघाट जिला मुख्यालय से जुड़ जाये।

6. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि इस बात कुछ प्रखण्डों के माईक्रोप्लान में कतिपय परिवर्तन किया गया है। सभी प्रखण्डों के प्रभारी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि दिनांक 17.01.2018 तक अपने–अपने प्रखण्ड का पुनरीक्षित माईक्रोप्लान तैयार का निश्चित रूप उपलब्ध करा दिया जाए।

7. भूमि सुधार उप समाहर्ता, पूर्वी, मुजफ्फरपुर–सह–प्रभारी पदाधिकारी, कटरा के द्वारा बताया गया कि कटरा प्रखण्ड में 5 मार्ग निर्धारित किया गया है। सभी पंचायतो में जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

8. सभी प्रखण्डों के प्रभारी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि अभी से लगातार प्रखण्डों में तथा पंचायतों में कैम्प कर अधिक से अधिक जागरूकता अभियान चलाया जाए तथा सभी कार्यक्रम में भागीदारी सुनिश्चित कराया जाए। इस कार्य के सभी विकास मित्र, टोला सेवक, आशा कार्यकर्ता, शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारी एवं कर्मी के अलावा पंखण्ड एवं पंचायस्तरीय सभी पदाधिकारियों और कर्मियों की भागीदारी सुनिश्चित कराया जाए। स्थानीय लोगों को किस मार्ग में तथा किस स्थान पर मानव श्रृखला हेतु जाना है इसकी जानकारी निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाए।

9. प्रभारी पदाधिकारी, सरैया को निदेश दिया गया कि सभी सेक्टर एवं जोनल पदाधिकारियों की बैठक कर उन्हें आवश्यक निदेश उपलब्ध करा दिया जाए। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि पंचायस्तरीय कार्यक्रम में सभी लोगों की भागीदारी सुनिशचित कराया जाए। यह भी निदेश दिया गया कि दिनांक 17.01.2018 एवं दिनांक 18.01.2018 को कम से कम तीन–तीन आम सभा पंचायतस्तर/गांवस्तर पर करायें तथा उसमें सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करायें। उक्त आम सभा के माध्यम से सभी लोगों को आवश्यक जानकारियां उपलब्ध करा दी जाए। पुलिस उपाधीक्षक, सरैया को निदेश दिया गया कि उक्त आम सभा में सभी संबंधित थानाध्यक्षों को भी भाग लेने हेतु निदेशित किया जाए तथा स्वंय भी भाग लिया जाए।

10. भूमि सुधार उप समाहर्ता, पश्चिमी, मुजफ्फरपुर–सह–प्रभारी पदाधिकारी, पारू के द्वारा बताया गया कि पंचायतों मे जाकर स्थानीय लोगो के साथ बैठक की जा रही है। सब सेक्टर में कॉर्डिनेटर को लगाया गया है। निदेश दिया गया कि सभी लोगों को मानव श्रृंखला की जानकारी होनी चाहिए तथा उन्हें किस मार्ग पर खड़ा होना है उसकी भी जानकारी उपलब्ध करा दिया जाए। इस हेतु अधिक से अधिक जागरूकता अभियान चलाया जाए तथा लोगों को मोबलाईज किया जाए।

11. अनुमंडलाधिकारी, पूर्वी, मुजफ्फरपुर–सह–प्रभारी पदाधिकारी, मीनापुर को निदेश दिया गया कि स्थानीय स्तर के जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें अधिक से अधिक सहयोग हेतु अनुरोध किया जाए।

12. परियोजना निदेशक, आत्मा, मुजफ्फरपुर–सह–प्रभारी पदाधिकारी, सकरा एवं पुलिस उपाधीक्षक, पूर्वी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि प्रखण्ड/पंचायतस्तर पर स्थानीय जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें मानवबल एकत्र करने तथा जागरूक बनाने हेतु जबावदेही दे दिया जाए। लोगों को जागरूक बनाने हेतु थाना प्रभारियों को भी लगाया जाए।

13. अनुमंडलाधिकारी, पूर्वी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि बैरिया से फोरलेन एवं अहियापुर से एस0के0एम0सी0एच0 से होते हुए सीतामढ़ी मार्ग में मानवबल की सम्बद्धता का आकलन कर उसे सुनिश्चित करा लिया जाए।

14. प्रखण्ड के प्रभारी पदाधिकारी, मड़वन को निदेश दिया गया कि स्थानीय जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर तथा उनसे व्यक्तिगत रूप से बात कर मानव श्रृंखला निर्माण में अपेक्षित सहयोग हेतु अनुरोध किया जाए। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से भी समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

15. जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि सभी सी0आर0सी0 एवं बी0आर0पी0 की बैठक बुलाकर उन्हें निदेश दिया जाए कि सभी विद्यालयों के बच्चे अपने–अपने अभिभावक के साथ मानव श्रृंखला में निश्चित रूप भाग लेंगे। इस प्रकार की सूचना सभी अभिभावकों को भी चला जायें इसे सुनिश्चित कराया जाए। यह भी निदेश दिया गया कि सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को भी नियमित रूप से प्रखण्ड में भेजें तथा लोगों को अधिक से अधिक जागरूक बनाने की कार्रवाई की जाए। विद्यालयस्तर पर क्या–क्या तैयारी चल रही है इसका भी नियमित रूप से समीक्षा करें। सभी प्रधानाध्यापक को जबावदेही निर्धारित कर दिया जाए।

16. सभी प्रखण्डों के प्रभारी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि पंचायतवार दूर–दराज से मानवबल को निर्धारित मार्ग पर लाने हेतु वाहनों का आकलन करते हुए प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों के माध्यम से इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करा ली जाए। इसका विधिवत प्लान तैयार कर लिया जाए। आवश्यकतानुसार उक्त वाहन हेतु तेल की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के द्वारा किस स्त्रोत से वाहन की व्यवस्था की जा रही है इसका भी आकलन कर लिया जाए।

17. वाहन कोषांग के वरीय पदाधिकारी/सम्बद्ध पदाधिकारी एवं जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि परिवहन एसोसिएशन से समन्वय स्थापित कर जिलास्तर पर भी आवश्यक संख्या में बड़ी एवं छोटी वाहनों की व्यवस्था कर रख लिया जाए, ताकि आवश्यकतानुसार उन वाहनों का उपयोग किया जा सके। यह भी निदेश दिया गया कि मानव श्रृंखला हेतु निर्धारित मार्ग से विपथन कर अन्य मार्म पर वाहन के परिचालन की व्यवस्था करा दिया जाए। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि सभी प्रखण्डों में कम से आवश्यकतानुसार बसों को उपलब्ध करा दिया जाए । सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है उक्त वाहनों का आकस्मिकता की स्थिति में उपयोग किया जाएगा।

18. अनुमंडलाधिकारी, पूर्वी/पश्चिमी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि सभी जन वितरण प्रणाली के द्वारा दिये जाने वाले वाहनों की भी समीक्षा कर ली जाए। इस हेतु सभी पणन पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें आवश्यक निदेश उपलब्ध करा दिया जाए।

19. अनुमंडलाधिकारी, पूर्वी/पश्चिमी, मुजफ्फरपुर एवं सभी प्रखण्डों के प्रभारी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि सभी प्रखण्डस्तरीय पदाधिकारियों के वाहनों पर लाउडस्पीकर लगाकर सभी क्षेत्रों में घुम–घुमकर आवश्यक प्रचार सामग्री एवं सी0डी0 के साथ प्रचार–प्रचार करें इसे सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि स्थानीय स्तर पर डी0जे0 वादक एवं लाउडस्पीकर वादक को चिन्हित करते हुए उन्हें प्रचार सामग्री एवं सी0डी0 उपलब्ध करा दिया जाए। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि सभी प्रखण्डों में आवश्यकतानुसार प्रचार सामग्री तथा सी0डी0 शीघ्र उपलब्ध करा दिया जाए। यह भी निदेश दिया गया कि सभी प्रखण्डों के हरेक गांव–गांव में में वाहनों के माध्यम से अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार कराया जाए।

20. सभी प्रखण्डों के प्रभारी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि दिनांक 21.01.2018 को निर्माण किये जाने वाले मानव श्रृंखला हेतु निर्धारित सभी मार्ग में वाहन सहित लाउडस्पीकर की तैनाती करा दिया जाए। उक्त वाहन उस दिन सुबह 7.00 बजे से अपने निर्धारित मार्ग में घुम–घुमकर सी0डी0 आ वादन सुनिश्चित करायेंगे।

21. जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि कलाजत्था की टीम का मोबाईल नंबर तथा अगले पांच दिन का शिडयुल व्हा्ट्स एप पर डाल दिया जाए तथा उसका कार्यक्रम कराया जाए।

22. सभी प्रखण्डों के प्रभारी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि दिनांक 21.01.2018 को मानव संसाधन को निर्धारित मार्ग पर लाने हेतु सभी सेक्टर पदाधिकारी, जोनल पदाधिकारियों को ब्रीफिंग कर आवश्यक निदेश उपलब्ध करा दिया जाए।

23. नियंत्रण कक्ष के पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि जिलास्तरीय वाररूम को जिला नियंत्रण कक्ष के रूप से संचालित करा दिया जाए। साथ ही सभी प्रखण्डों के प्रभारी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि दिनांक 21.01.2018 के लिए सभी प्रखण्डों में भी नियंत्रण कक्ष का अधिष्ठापन करा दिया जाए।

24. जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि सभी प्रखण्डों में आकलन कर पहचान पत्र शीघ्र उपलब्ध करा दिया जाए। यह भी निदेश दिया गया कि प्रचार सामग्री यथा स्टीकर, बैनर एव पोस्टर भी सभी प्रखण्डों में आवश्यकतानुसार उपलब्ध करा दिया जाए। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया जाए कि उपलब्ध कराये जाने वाले स्टीकर सभी पदाधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों के वाहन में चिपका दिया जाए। उप विकास आयुक्त, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि इसका अपने स्तर से पर्यवेक्षण कर निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी कार्रवाई सुनिश्चित करायी जाए।

25. जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि दिनांक 18 एवं 19.01.2018 को सभी प्रखण्डों में सभी सेक्टर, सब सेक्टर पदाधिकारियों की बैठक कर उन्हें आवश्यक निदेश उपलब्ध करा दी जाए।

26. अनुमंडलाधिकारी, पूर्वी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि माननीय प्रभारी मंत्री, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों तथा जिलास्तरीय पदाधिकारियों के लिए मानव श्रृंखला में शामिल होने हेतु मार्ग एवं स्थान निर्धारित करा लिया जाए। उक्त स्थल पर सभी आवश्यक सुविधायें, लाउडस्पीकर, बैठने की व्यवस्था, शेड, पेयजल आदि की भी पूर्व से व्यवस्था करा दी जाए।

27. सभी प्रखण्डों के प्रभारी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर सभी निर्धारित मार्ग पर पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करा ली जाए। इसके अलावा इनक्लोजर के रूप मे अस्थायी शौचालय पुरूष एवं स्त्री के लिए अलग–अलग बनवा दिया जाए।

अपर समाहर्ता, आपदा प्रबधंन, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुज0 के साथ समन्वय स्थापित कर सभी निर्धारित मार्ग पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करा ली जाए।

28. अपर समाहर्ता, आपदा प्रबधंन, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर से समन्वय स्थापित कर सभी निर्धारित मार्ग पर स्वास्थ्य सुविधायें एवं एम्बुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित करा दी जाए। सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया जाता है कि सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सभी निर्धारित मार्ग में स्वास्थ्य किट, ए0एन0एम0, आशा आदि की प्रतिनियुक्ति करा दी जाए।

29. जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि सभी विद्यालयों के शौचालयों एवं चापाकल की आवश्यक मरम्मती एवं साफ–सफायी करा दी जाए।

30. अनुमंडलाधिकारियों एवं पुलिस उपाधीक्षकों को निदेश दिया गया कि राष्ट्रीय उच्च पथ के किनारे संचालित सभी लाईन होटलों एवं ढाबों के के संचालकों को निदेश दे दिया जाए कि वे दिनांक 21.01.2018 को अपने–अपने सामने पेयजल की व्यवस्था करेंगे तथा शौयाचलों को चालू हालत में रखेंगे। इसके अलावा अतिरिक्त युरिनल एवं शौचायल की भी व्यवस्था कर देंगे।

31. सभी प्रखण्डों के प्रभारी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि मानव श्रृंखला के दिन सभी पदाधिकारियों एवं सेक्टर तथा जोनल पदाधिकारियों के वाहन में पानी का बोतल रखवा देंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके।

32. अनुमंडलाधिकारियों एवं पुलिस उपाधीक्षकों को निदेश दिया गया कि मानव श्रृंखला निर्माण हेतु सभी निर्धारित मार्ग पर यातायात प्रबंधन की समुचित व्यवस्था पूर्व से कर ली जाए। इस हेतु यातायात प्रबंधन प्लान बना लिया जाए। कौन से मार्ग को कहां से बंद किया जाएगा तथा किस मार्ग पर विपथन किया जाएगा तथा बैकल्पिक मार्ग कौन–कौन सा होगा। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि सीमावर्ती जिला के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर यातायात प्रबंधन की व्यवस्था कर ली जाए। यह भी निदेश दिया गया कि सभी वैकल्पिक रूट का भी प्लान बना लिया जाए तथा उसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

33. अनुमंडलाधिकारियों को निदेश दिया गया कि दिनांक 21.01.2018 को सड़क के किनारे अवस्थित सभी सरकारी एवं निजी अस्पतालों को खुलवा दिया जाए तथा वह रेडी अवस्था में रहे। इस हेतु पूर्व से ही सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करा ली जाए।

34. सभी प्रखण्डों के प्रभारी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि उपस्थित पंजी पर हस्ताक्षर करवा कर शीघ्र उपलब्ध करा दी जाए।

35. सभी प्रखण्डों के प्रभारी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि प्रखण्ड/पंचायतस्तर पर दैनिक की जाने वाली गतिविधियों से संबंधित प्रतिवेदन एवं उसका फोटोग्राफ्स निश्चित रूप से भेजा जाए।

36. सभी प्रखण्डों के प्रभारी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि माईक्रोप्लान का हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी एवं नक्शा निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाए।

37. जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि बैकों के माध्यम से दिनांक 21.01.208 को निर्धारित मार्ग पर पेयजल एवं आवश्यकतानुसार कैप की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाए।

38. अपर समाहर्ता, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि नवोन्मेष कोषांग के माध्यम से दिनांक 21.01.2018 को अलग–अलग कार्यक्रम कराया जाए। इस हेतु विद्यालयों एवं गैर सरकारी सगठनों के साथ समन्वय स्थापित कर इसका प्लान तैयार कर लिया जाए।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई ।

ह०/-

जिलाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक 249/**गो., दिनांक** 18/01/18

प्रतिलिपि : वरीय पुलिस अधीक्षक/उप विकास आयुक्त/अपर समाहर्ता/अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन/विभागीय जांच/अपर पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर/सहायक समाहर्ता, मुजफ्फरपुर/सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर/उत्पाद अधीक्षक, मुजफ्फरपुर/अनुमंडलाधिकारी, पूर्वी/पश्चिमी/अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पूर्वी/पश्चिमी/पुलिस उपाधीक्षक, नगर/पूर्वी/पश्चिमी/सरैया, मुजफ्फरपुर/वरीय उप समाहर्ता प्रभारी, जिला गोपनीय प्रशाखा/जिला अवर निबंधक/जिला कल्याण पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, साक्षरता/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0 एस0/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जीविका/जिला स्वास्थ्य प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, मुजफ्फरपुर/निदेशक, एन.ई.पी./निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, डी.आर.डी.ए., मुजफ्फरपुर/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी/जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/भूमि सुधार उप समाहर्ता, पूर्वी/पश्चिमी/जिला लेखा पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला जन संपर्क पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला योजना पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/नोडल पदाधिकारी, आर.टी.पी.एस./समाहरणालय स्थित सभी प्रभारी पदाधिकारियों/सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों/अंचलाधिकारियों/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/सभी प्रोग्राम

पदाधिकारी, मनरेगा / सभी थानाध्यक्ष, मुजफ्फरपुर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि – जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मुजफ्फरपुर / जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर / महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मुजफ्फरपुर / जिला कृषि पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर / परियोजना निदेशक, आत्मा / जिला उद्यान पदाधिकारी / जिला पशुपालन पदाधिकारी एवं जिलास्तरीय अन्य पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि – कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल / कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, पूर्वी / पश्चिमी / कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल संख्या 01 एवं 02, मुजफ्फरपुर / कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, पूर्वी–1 एवं 2 / पश्चिमी / कार्यपालक अभियंता, एन0एच0,–1 / 2, मुज0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

16/01

जिलाधिकारी,
मुजफ्फरपुर ।